कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सि.याचिका संख्या 9184/2016 मोहम्मद सदीक कादरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04..2018 में याचिकार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधि अनुसार कन्सीडर कर सकारण एवं आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये है।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उसकी दिनांक 31.12.1980 को पीटीआई ग्रेड III के पद पर नियुक्ति हुई एवं दिनांक 01.05.2005 को पीटीआई ग्रेड II के पद पर पदोन्नत कर बून्दी जिले में पदस्थापित किया गया तथा याचिकार्थी अनवरत वहीं पर कार्यरत है। याचिकार्थी दिनांक 31.10.2020 को सेवानिवृत्त होने वाला है। याचिकार्थी के कथनानुसार उसने विभागीय स्वीकृति के साथ एम.ए., बी.एड. कर रखा है। अतः उसे भी बी.एड. करने उपरान्त प्रयोगशाला सहायक/ अध्यापक के समकक्ष पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2018 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II व III के पद राजस्थान शैक्षिक अधिनस्थ सेवा नियम–1971 की अनुसूची प्रथम के अनुभाग (ख) में तथा प्रयोगशाला सहायक का पद अनुभाग (च) में प्रावधारित है। प्रयोगशाला सहायक के पद 100 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं, जिसमें से 12.5 प्रतिशत पद परन्तुक (5) व (6) तक के अनुसार शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला बॉयज/कर्मचारियों में से भरे जाने हेतु आरक्षित है। अतः याचिकार्थी द्वारा बी.एड. करने के उपरान्त शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक से प्रयोगशाला सहायक के पद पर जिस प्रकार की पदोन्नति की मांग अभ्यावेदन में की गई है, ऐसा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में बी.एड. करने उपरान्त प्रयोगशाला सहायक/अध्यापक के समकक्ष पदोन्नति प्रदान करने की मांग नियमानुकूल नहीं पाये जाने पर इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/12902/2016 दिनांकः– 28.08.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को शिविरा/मा./विधि/बी–2/जय./निर्णय/29860/डी/19 दिनांक 09.06.2020 के क्रम में।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
5. याचिकार्थी मोहम्मद सदीक कादरी, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II, राउमावि करवर, जिला–बून्दी
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)